अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास मुंबई (US Consulate General, Mumbai) में आप्रवासी वीज़ा यूनिट (Immigrant Visa Unit) ने सभी वीज़ा श्रेणियों की नियमित नियुक्तियों (appointments) का समय-निर्धारण फिर से शुरू कर दिया है। COVID-19 महामारी के दौरान वाणिज्य दूतावास बंद होने के कारण जिन सभी आवेदकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था, उन्हें पुनर्निर्धारित करने के निर्देश भेजे गए हैं। हम सभी वीज़ा श्रेणियों में 221(G) प्रविष्टियां भी स्वीकार कर रहे हैं।

सीमित अपवादों के साथ प्रारंभिक वीज़ा साक्षात्कार नियुक्तियों को राष्ट्रीय वीज़ा केंद्र (National Visa Center-NVC) द्वारा निर्धारित किया जाता है। हमारी [वेबसाइट](https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcgifederal.secure.force.com%2F%3Flanguage%3DEnglish%26country%3DIndia&data=04%7C01%7CBoquinLA%40state.gov%7Cfc78ac4b605840a8676808d91c43f1a6%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637571900403169014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BBkHO%2Fpf2%2ByEYpXT5OEDtdduXTOBhvo4IrzykW9Jwd8%3D&reserved=0) के माध्यम से अनुवर्ती या पुनर्निर्धारित नियुक्तियां की जानी चाहिए। जितनी बार हमारे पास उपलब्धता होती है हम अपॉइंटमेंट जोड़ते हैं। वीज़ा आवेदकों को अपॉइंटमेंट के लिए पंजीकरण करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए और पुष्टि और अधिक जानकारी के लिए अपने ईमेल पते की निगरानी करनी चाहिए।

आवेदकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर के लिए, कृपया हमारे शीर्ष अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पृष्ठ पर [जाएँ।](https://www.ustraveldocs.com/in/en/general-information#faqs)

वीज़ा पूछताछ के लिए, संपर्क करने का सबसे अच्छा और तेज़ तरीका है support-india@ustraveldocs.com पर ईमेल करना या किसी प्रतिनिधि से बात करने के लिए व्यावसायिक घंटों के दौरान कॉल सेंटर ((91-120) 4844644) पर डायल करना।

दूतावास (Embassy) या वाणिज्य दूतावास (Consulate) से संपर्क करने के कई अलग-अलग प्रयास संचार को धीमा कर देंगे।

आप्रवासी वीजा (Immigrant Visa) और आप्रवासी वीजा आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी [travel.state.gov](http://travel.state.gov)  पर उपलब्ध है।

आप्रवासी वीजा के लिए आवेदन करने के लिए, आम तौर पर प्रवास करने की इच्छा रखने वाले विदेशी नागरिक को एक तत्काल रिश्तेदार द्वारा प्रायोजित (sponsor) किया जाना चाहिए जो एक अमेरिकी नागरिक या वैध स्थायी निवासी, या संभावित अमेरिकी नियोक्ता (employer) द्वारा हो, और अप्रवासी वीजा के लिए आवेदन करने से पहले एक अनुमोदित याचिका हो। प्रायोजक अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन [सेवा](https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate.html) (यूएससीआईएस-USCIS) के साथ विदेशी नागरिक की ओर से एक याचिका दायर करके प्रक्रिया शुरू करता है। विविधता वीजा ([Diversity Visa Program](https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry.html)) कार्यक्रम सहित विभिन्न प्रकार के [अप्रवासी वीजा के](https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/the-immigrant-visa-process.html) बारे में जानने के लिए आप [usvisas.state.gov](http://usvisas.state.gov) पर हमारी वीजा श्रेणियों की निर्देशिका की समीक्षा करना चाह सकते हैं। फिर, अप्रवासी वीजा के लिए आवेदन शुरू करने के लिए [usvisas.state.gov](http://usvisas.state.gov) पर आप्रवासी वीजा प्रक्रिया, या विविधता वीजा प्रक्रिया (Diversity Visa Process)पर दिए गए चरणों का पालन करें।

एक बार USCIS ने आपकी याचिका को मंजूरी दे दी है और आपने नेशनल वीज़ा सेंटर (NVC) के साथ प्री-प्रोसेसिंग पूरी कर ली है, NVC द्वारा दिए गए निर्देशों और इस वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को आगे के मार्गदर्शन और निर्देशों के लिए देखें।

यदि आपको डायवर्सिटी वीज़ा (Diversity Visa) लॉटरी में चुना गया है और केंटकी कांसुलर सेंटर (केसीसी)-Kentucky Consular Center (KCC) के साथ प्री-प्रोसेसिंग पूरी कर ली है, तो आपको वीज़ा प्रोसेसिंग जारी रखने के लिए केसीसी से निर्देश प्राप्त होंगे।

आपके आप्रवासी वीजा (Immigrant Visa) साक्षात्कार (interview) की तैयारी और समय-निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित जानकारी भारत में आवेदकों के लिए विशिष्ट है:

अप्रवासी वीजा (Immigrant Visas)

• [परिवार आधारित इमीग्रेशन](https://in.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/family-based-immigration/)

• [मंगेतर वीजा](https://in.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/fiancee-visa/)

• [रोजगार आधारित इमीग्रेशन](https://in.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/employment-based-immigration/)

• [रिटर्निंग रेजिडेंट वीजा](https://in.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/returning-resident-visa/)

• [विविधता वीजा (Diversity Visa)](https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry.html)